

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश : जबलपुर

॥ आदेश ॥

कमांक २/२०४२ / चार-९-०२ / २०२३ पेंशन

जबलपुर, दिनांक २६/०४ / २०२३

श्री महेश कुमार डुमार, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस पेंशन नियम १९७६ के नियम ४२ (१) (ए) के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु दिनांक २३.०३.२०२३ को प्रस्तुत आवेदन पत्र उनकी २० वर्ष की अर्हताकारी सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप स्वीकार किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के द्वारा, श्री महेश कुमार डुमार, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक ३०.०४.२०२३ अपराह्न से स्वैच्छापूर्वक सेवानिवृत्त होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय  
के आदेशानुसार  
सही / -  
(रामकुमार चौबे)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन कमांक २/२०४३ / चार-९-०२ / २०२३ पेंशन  
प्रतिलिपि:-

जबलपुर, दिनांक २६/०४ / २०२३

१. संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, जबलपुर
२. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर (म०प्र०)
३. संभागीय पेंशन अधिकारी, जिला पेंशन कार्यालय, जबलपुर
४. रजिस्ट्रार प्रशासन / न्यायिक / डी०ई० / सतर्कता / ई० / आई०एल०आर० परीक्षा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
५. माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
६. डिप्टी रजिस्ट्रार, न्यायिक / ओ०एस०डी० लेखा / लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय, म०प्र०, जबलपुर
७. ज्वाइंट रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
८. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
९. श्री ..... असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
१०. श्री ..... प्रशासनिक अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
११. सहायक, स्थापना / सेवापुस्तिका / वेतननिर्धारण / अवकाश / बजट / वेतन पत्रक / अग्रिम / टी०ए० / शिकायत / समूह बीमा / कार्य / कम्प्यूटर, उच्च न्यायालय, म०प्र० जबलपुर।
१२. अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टाईपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
१३. श्री महेश कुमार डुमार, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(विकास चन्द्र मिश्रा)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

८